

राजस्थान सरकार  
आयोजना विभाग

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/

दिनांक: 05.09.2017  
12


परिपत्र - 21(आंशिक संशोधन)

विषय:-विभागीय योजनाओं की सेवाओं की भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदायगी के लिए आधार अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए।

जैसा कि आपको विदित है आयोजना विभाग का परिपत्र-21 क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक: 24.05.2017 अनुसार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 57 के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा विभागीय सेवाओं में आधार अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश जारी किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

परिपत्र के संलग्न परिशिष्ट-अ में वर्णित विभागीय सेवाओं हेतु निम्नानुसार पढा जाए :-

सेवा	संशोधन
टिन नम्बर	वित्त विभाग से संबंधित सेवा - टिन नम्बर के स्थान पर जीएसटीएन नम्बर
भूमि/भवन/दुकान/चल-अचल इत्यादि पंजीयन तथा भूमि का हक त्याग	राजस्व विभाग के स्थान पर पंजीयन एवं मुद्रांक (वित्त)विभाग




(अखिल अरोरा)  
प्रमुख शासन सचिव,  
आयोजना व सू.प्रौ. एवं संचार विभाग

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/

दिनांक: 05.09.2017  
12

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान को विभागीय योजनाओं से संबंधित परिपत्रों/ निर्देशों आदि में आवश्यक अद्यतन हेतु प्रेषित है।
4. रक्षित पत्रावली।



(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव